राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2128/2010/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, अलवर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

श्री कल्लू , वाहन चालक, पुत्र श्री सुपरथ,
ग्राम–सैदनपुर, तहसील–लक्षमणगढ़, अलवर। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक । .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जे.के.जैन,
अभिभाषक । .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक:07.08.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,धौलपुर (जिसे आगे सशक्त अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स–प्रथम),अलवर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2010, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जो अपील संख्या 245/उपा/अपील्स/प्रथम/अल/आर.वैट/2006–07/10 के संबंध में पारित किया गया है तथा जिसमें अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76 (11) के तहत् आरोपित शास्ति `54,970/– को अपास्त करने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 07.09.2006 को रसगण–अलखपुरदोहा रोड पर वाहन संख्या आर.जे–.02–जी/7400 को जांच हेतु रोका गया। परिवहनीत माल "सरसों तेल" जो कि गोविन्दगढ़ से दिल्ली के लिये परिवहनीत किया जाना पाया गया। इस संबंध में दस्तावेज जांच हेतु अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा चाहने पर, वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा माल के संबंध में मैसर्स खण्डेलवाल रोडलाईन्स, गोविन्दगढ़ की बिल्टी क्रमांक 26 दिनांक 04.09.2006, मैसर्स विपिन कुमार एण्ड कम्पनी, गोविन्दगढ़ द्वारा जारी इन्वॉयस क्रमांक 22 दिनांक 04.09.2006 प्रस्तुत किये। जिनकी जांच कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने अवधारित किया कि परिवहनीत माल अधिसूचित वस्तुओं की श्रेणी में आने के कारण माल संबंधी दस्तावेजों में घोषणा प्ररूप वैट–49 संलग्न नहीं होने एवम् प्रस्तु दस्तावेजों पर राज्य की किसी भी प्रवेश जांच चौकी पर वाहन को न तो रोका एवम् न ही दस्तावेज इन्द्राज कराये है। फलस्वरूप, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने उक्त कृत्य को अधिनियम की धारा 76(2)(ए) का उल्लंघन होना अवधारित कर, अधिनियम की धारा 76(6), 76(11) व 76(13) के

लगातार....2

तहत् शास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रस्तावित कर, नोटिस जारी किये गये। अधिनियम की धारा 76(11) के तहत् जारी नोटिस की पालना प्रत्यर्थी वाहन चालक ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया, जिसे अस्वीकार कर ,अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन मानकर, अधिनियम की धारा 76(11) के तहत् शास्ति आरोपित की। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्ररतुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने आरोपित शास्ति को अपास्त कर, आदेश पारित किया। जिसे अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने इस अपील के जरिये चुनौती दी है ।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

4. अपीलार्थी की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त करने में विधिक भूल की है, जैसा कि अधिनियम की धारा 76(11) के प्रावधान स्पष्ट करते हैं । उक्त प्रावधान "non-obsetente" प्रकृति के हैं, जो धारा 76 के अन्य प्रावधानों के रहते हुये भी वाहन चालक/वाहन प्रभारी पर बाध्यकारी हैं। अतः विद्वान अपीलीय अधिकारी का निर्णय विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त करने योग्य है। तद्नुसार अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्त कर, सशक्त अधिकारी का आदेश को पुनर्स्थापित (Restore) करने की प्रार्थना की गयी ।

5. प्रत्यर्थी के अधिकृत प्रतिनिधि ने अभिवाक् किया है कि विद्वान् उप–राजकीय अभिभाषक के तर्क विधिसम्मत एवम् उचित नहीं हैं इस सम्बन्ध में अग्रिम अभिवाक् किया कि माल संबन्धी समस्त दस्तावेज परिवहन के दौरान मौके पर जांच के वक्त मौजूद थे, जिनकी विश्वसनीयता पर कोई सन्देह सशक्त अधिकारी द्वारा व्यक्त नहीं किया गया था तथा माल की घोषणा कर जांच चौकी पर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के तकनीकी अपराध के कारण अधिनियम की धारा 76(11) के तहत् शास्ति आरोपणीय नहीं है। अग्रिम अभिवाक् किया कि लायक सशक्त अधिकारी ने कोई कर चोरी प्रमाणित नहीं की है । कथन किया कि अधिनियम की धारा 76 के प्रावधान कर चोरी की रोकथाम के लिये है। प्रकरण में माल के परिवहन के दौरान माल संबंधी समस्त दस्तावेज मौजूद थे । इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्न न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में, आरोपित शास्ति को विधिसम्मत एवम् उचित नहीं होना प्रकट किया है:–

1.राजस्थान राज्य व अन्य बनाम् तेजेन्द्र पाल सिंह,6 टैक्स अपडेट 84

2.दान सिंह बनाम् राजस्थान राज्य व अन्य, 11 टैक्स अपडेट 195

3.एस.बी सिविल सैल्स टैक्स रिवीजन संख्या 8/09 निर्णय दिनांक

लगातार....3

15.01.09 वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मधु चौहान, 23 टैक्स अपडेट,105

4. महावीर ट्रेडर्स बनाम् स.वा.क.अ.,उड़नदस्ता, अलवर,23 टैक्स अपडेट 245

5.एस.बी सिविल सैल्स टैक्स रिवीजन संख्या 55/09 निर्णय दिनांक 20.01.10 फिरोज खान बनाम स.वा.क.अ. घट–तृतीय,वृत्त–'डी' जोधपुर, 26 टैक्स अपडेट 185 ।

6.सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, रानीवाड़ा बनाम् भागीरथ देवारामजाट, जोधपुर, टैक्सवर्ल्ड XLII 15[आर.टी.बी. (एस.बी.)]

6. उपर्युक्त न्यायिक दृष्टातों के आलोक में विद्वान् अपीलीय अधिकारी के निर्णय को यथावत् रखने की पेशकश की है ।

7. उभय पक्षीय बहस सुनी गयी । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया उभय पक्षीय बहस सुनी गयी । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया । इस संबंध में प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति के अवलोकन एवम् माननीय न्यायालयों के उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के अध्ययन के पश्चात् यह प्रकट है कि अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों <u>एस.बी सिविल सैल्स टैक्स रिवीजन संख्या 8/09 निर्णय दिनांक 15.01.09 वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मधु चौहान, 23 टैक्स अपडेट,105 व महावीर ट्रेडर्स बनाम् स.वा.क.अ.,उड़नदस्ता, अलवर,23 टैक्स अपडेट 245</u> का प्रश्न है, प्रोद्धरित प्रकरणों में वाहन प्रभारी/वाहन चालक द्वारा जांच पर सक्षम अधिकारी के समक्ष परिवहनीत माल के संबंध में विहित दस्तावेज तो प्रस्तुत कर दिये गये थे परन्तु वह नजदीकतम जांच चौकी से होकर नहीं गया बल्कि अन्य मार्ग से होकर गुजरा। माननीय उच्च न्यायालय ने तत्कालीन अधिनियम की धारा 78(10ए)/76(11) के तहत् शास्ति इस आधार पर अपास्त की गयी है कि वस्तुतः वाहन चालक द्वारा वहनीत माल के संबंध में करापवंचन का आशय नहीं है। अतः जांच चौकी से बचकर अन्यथा मार्ग से निकल जाने मात्र के आधार पर शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती जब तक कि वहनीत माल पर बोगस/मिथ्या दस्तोवजों की प्रस्तुति का अभियोग दर्ज नहीं किया गया हो। जहां तक हस्तगत प्रकरण का प्रश्न है, अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् सक्षम अधिकारी के समक्ष जांच पर जांच चौकी पर दस्तावेज यथा घोषणा प्ररूप प्रस्तुत नहीं करने के अभाव में माल प्रभारी पर शास्ति आरोपित की जाती है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2006 से अधिनियम की धारा 76(11) को निम्न प्रकार प्रावधति किया गया है:–

76(11) Notwithstanding anything contained in this section, where the driver or the person ***<u>Incharge of the vehicle or the carrier abstains from</u>***

लगातार....4

bringing or stopping the vehicle or carrier at the nearest check–post as provided under clause (a) of subsection (2), the Incharge of the check–post or "the officer authorized" under sub–section (4) may detain such vehicle or carrier and, after affording an opportunity of being heard to the owner or a person duly authorised by such owner or the driver or the person Incharge of the vehicle or carrier, may impose a penalty equal to fifty percent of the value of such goods

8. रिकॉर्ड पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में वाहन चालक द्वारा वाहन को जांच हेतु राज्य में स्थापित जांच चौकी पर नहीं ले जाया गया। यही नहीं अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के उल्लंघन के कारण अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् आरोपित शास्ति को कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा जरिये आदेश दिनांक 20.06.2012 के पुनर्स्थापित (restore) किया गया है। उक्त प्रकरणों में तत्कालीन अधिनियम की धारा 78(5) के तहत् विहित दस्तावेज सशक्त अधिकारी के समक्ष जांच हेतु वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा प्रस्तुत किये गये थे एवम् तद्नुसार अधिनियम की धारा 78(5) के तहत् शास्ति आरोपित नहीं की गयी थी। जबकि हस्तगत प्रकरण में अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के तहत् विहित दस्तावेज घोषणा प्ररूप वैट–49/18 सी वक्त जांच प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा उक्त प्रस्तुति के अभाव में, अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् आरोपित शास्ति को कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा जरिये आदेश दिनांक 20.06.2012 के पुनर्स्थापित किया गया है अर्थात् परिवहनीत माल के संबंध में विहित दस्तावेज सशक्त अधिकारी/प्रभारी, जांच चौकी के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर शास्ति आरोपण को सही पाया गया। अतः जब वाहन स्वामी/वाहन चालक, ऐसे माल जिसके संबंध में विहित दस्तावेज नहीं हैं वह करापवंचन के प्रयास में स्वयम् भी संलग्न होकर नजीदकतम जांच चौकी पर बिना इन्द्राजात के माल परिवहन करते हुये सक्षम अधिकारी द्वारा जांच की गयी। ऐसी स्थिति में, अधिनियम की धारा 76(11) के विशिष्ट प्रावधान, जिसके अनुसार उक्त धारा में कुछ भी अंकित हो यदि वाहन चालक/स्वामी/प्रभारी वाहन को नजीदकतम जांच चौकी पर नहीं ले जाता है तो बाद सुनवायी के शास्ति के दायित्वधीन होगा, उक्त के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(11) के तहत् शास्ति आरोपित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। जहां तक अतः अधिनियम की धारा 76(11) जो कि राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 78(10ए) के समान है, के तहत् विशिष्ट प्रावधानों के आलोक में, यह पीठ माननीय न्यायालयों के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों को ससम्मान प्रकट कर, हस्तगत प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं मानती है व अधिनियम की धारा 76(11) के तहत् आरोपित शास्ति को विधिसम्मत होना अवधारित कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है ।

लगातार....5

9. परिणामतः, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी की अपील स्वीकार की जाती है ।

10. निर्णय सुनाया गया ।

(मदन लाल)
सदस्य